7. खादी परिधान आपूर्ति के बकाया राशि का भुगतान :– खादी बोर्ड खादी के प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री विभाग को उपलब्ध कराया गया था। जिसकी कुल किमत रु0 18,00,957/– (अठारह लाख नौ सौ सन्तावन) है, जो अभी तक खादी बोर्ड को भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रचार–प्रसार या औद्योगिक अभियान मद से इसका भुगतान किया जाय। उप सचिव, उद्योग विभाग भुगतान के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेंगे।

8. खादी बोर्ड के कर्मचारियों को पंचम पुनरीक्षित वेतनमान देने के संबंध में :– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को अभी तक दिनांक 01.01.1986 का चतुर्थ वेतनमान ही प्राप्त हो रहा है। दिनांक 01.01.2009 से मँहगाई भत्ता बंद है। जिससे उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जिसके कारण बोर्ड के कर्मचारियों को बहुत निम्न वेतन प्राप्त हो रहा है। इसलिए निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को पंचम पुनरीक्षित वेतनमान देने पर जल्द निर्णय लिया जाय।

9/12/2016

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,पटना

ज्ञापांकः– खाo/172 /पटना, दिनांकः– 09/12/2016

प्रतिलिपिः– 1. बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/16

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।

14अ

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

डा०ए० विविध (योजना) - 02/2016
(खादी पुर्नरुद्धार)

अधिसूचना

संकल्प संख्या 4671 दिनांक 19.12.2014 द्वारा बिहार राज्य अवस्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समिति के पुर्नरुद्धार योजना के अन्तर्गत ₹ 44.450 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत् बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को ₹ 14.830 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। इस राशि में से बिहार में स्थित खादी संस्थाओं/समितियों को फिक्सड कैपिटल की सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 (एक हजार) नग मल्टी काउन्ट फाईवर चरखा 8 तकुए का (त्रिपुरारी मॉडल चरखा) उपलब्ध कराने हेतु ग्राम निर्माण मण्डल सर्वोदय आश्रम, सोखो देवरा, नवादा को सहायक अनुदान के रूप में ₹ 15999000.00 (एक करोड़ उन्सठ लाख निन्यानवे हजार) उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्य कार्यपालक पदा० कार्यालय
क्रमांक 1058
तिथि 30.03.2016

2. यह राशि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्राम निर्माण मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. ग्राम निर्माण मण्डल द्वारा बिहार में स्थित खादी संस्थाओं को 1000 (एक हजार) नग मल्टी काउन्ट फाईवर चरखा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका Specification, Controller General of Patents and Designs and trade Mark, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण में Registered Design No. 226616 एवं 226617 दिनांक 01.01.2010 में निहित है, जिसका Registered Design ग्राम निर्माण मण्डल, सोखो देवरा, नवादा को प्राप्त है।

4. चरखा संचालन एवं अन्य तकनीकी जानकारी ग्राम निर्माण मण्डल द्वारा खादी संस्थाओं/समितियों को दी जायेगी।

5. ग्राम निर्माण मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये मल्टी काउन्ट फाईवर चरखा से कम से कम रु0 175–200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त हो सकेगी।

ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-- 1511 /पटना, दिनांक– 29-03-16

प्रतिलिपिः-- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/2016
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

B.

दिनांक 11.11.2016 को माननीय मंत्री, उद्योग के समक्ष बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं उसकी योजनाओं की समीक्षा हेतु एक बैठक हुई थी।

उपस्थिति :–

(1) प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
(2) संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
(3) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना।
(4) श्री रंजीत कुमार,
उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
(5) श्रीमती विक्टोरिया पूर्ती,
उप उद्योग निदेशक (योजना)।

बैठक में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की संरचना एवं योजनाओं की रूप–रेखा तथा उसकी प्रगति की एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में खादी की निम्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

1. खादी पुर्नरूद्धार योजना :– खादी पुर्नरूद्धार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बिहार में स्थित खादी ग्रामोद्योग संस्था/समितियों के पुर्नरूद्धार के लिए लायी गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में (विशेषकर महिलाओं) को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आय के नये अवसर सृजित करना तथा राज्य के बुनकरों/कारीगरों को खादी की नई तकनीकी से अवगत कराते हुए उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना है, तथा खादी वस्त्रों के बिक्री में भी बढ़ोतरी करना है। इस योजना के अन्तर्गत फिक्सड कैपिटल के रूप में 36 संस्थाओं को 1000 (एक हजार) मॉर्डन चरखा (त्रिपुरारि मॉडल चरखा) उपलब्ध कराय गया है। शेष दूसरे और तिसरे चरण में करीब 4000 (चार हजार) चरखा और उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया गया है। बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि खादी बोर्ड इस संबंध में प्रस्ताव देगें ताकि सरकार स्तर पर इसपर निर्णय लिया जा सके।

(ii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बताया गया कि खादी पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत फिक्सड कैपिटल के रूप में मॉर्डन चरखा के अतिरिक्त

करघा, ड्रम एवं उलेन निटींग मशीन भी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए बोर्ड द्वारा दो बार निविदा आमंत्रित किया गया लेकिन निविदा में करघा/ड्रम के लिए कोई निविदाता भाग नहीं लिया, जिसके कारण करधा, ड्रम एवं उलेन निटींग मशीन क्रय नहीं हो पाया। बिहार में करघा, ड्रम एवं उलेन निटींग मशीन का निर्माण नहीं किया जाता है। इस विषय पर विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बिहार के खादी संस्थाएं खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.भी.आई.सी.) से सम्बंध (इम्पैनल्ड) उत्पादनकर्ता/आपूर्तिकर्ता से करघा, ड्रम एवं निटींग मशीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित दर पर ले सकते हैं, जिसका भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना की राशि से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जायेगा। तत्संबंधी इसपर सरकार स्तर से निर्णय लेने हेतु खादी बोर्ड द्वारा प्रस्ताव दिया जायेगा।

(iii) खादी पुर्नरूद्धार योजना के अन्तर्गत खादी संस्थाओं को कच्चे माल की खरीद, कत्तिन/बुनकरों को प्राश्रमिक एवं संस्था के प्रशासनिक व्यय के लिए 4% ब्याज की दर से पूँजी ऋण के रूप में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जा रहा है। विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवश्यकता के अनुरूप वैसे संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाय जिसे कार्यशील पूँजी दिया जाय। ये संस्थायें खादी वस्त्रों के उत्पादन, बिक्री के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें तथा उत्पादन में बिक्री के लिए नये तकनीक का उपयोग करें। इन संस्थाओं से खादी बोर्ड एकरारनामा करते हुए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की कार्रवाई करे। प्रति चरखा/करघा के लिए कितना कार्यशील पूँजी की आवश्यकता होगी। इस विषय पर खादी बोर्ड के.भी.आई.सी. से परामर्श प्राप्त कर कार्रवाई करें।

2. बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी के 1000 उत्पादों का बार कोडिंग दिया गया है। बार कोडिंग उपयोग के लिए खादी संस्थाओं के साथ एक बैठक आयोजित कर बार कोडिंग की विस्तृत जानकारी दी गई है। खादी वस्त्रों की ऑनलाईन बिक्री में भी बार कोडिंग की आवश्यकता होगी। यह कार्य बिहार के खादी संस्थाओं एवं बोर्ड के लिए बिल्कुल नया है। इसलिए इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक परामर्शी की सेवा लिया जाना आवश्यक है।

3. खादी पुर्नरूद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन का प्रावधान किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बोर्ड के कार्यों में तकनीकी एवं लेखा

आदि का सहयोग करने हेतु एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन किया जाय। इसमे तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा लेने हेतु नियमानुसार व्यक्तियों का चयन किया जाय। इसके लिए खादी बोर्ड निविदा के माध्यम से दर निर्धारित कर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की सेवा प्राप्त करे।

4. सतरंगी चादर आपूर्ति के बकाया राशि का भुगतान :– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के सरकारी अस्पतालों में मो0 1,89,72,834/– (एक करोड़ नवासी लाख बहत्तर हजार आठ सौ चौंतीस) रूपये की सतरंगी चादर आपूर्ति की गई थी। आपूर्ति के बकाये विरूद्ध अस्पतालों द्वारा मो0 1,42,28,545/– (एक करोड़ बेयालिस लाख अठाईस हजार पॉच सौ पैंतालिस) रूपये भुगतान किया गया है, शेष राशि मो0 47,44,289/– (सैंतालिस लाख चौवालिस हजार दो सौ नवासी) रूपये का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इस संबंध में स्वास्थय विभाग एवं आपूर्ति किये गये अस्पतालों से अनेकों बार भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। निर्णय लिया गया कि स्वास्थय विभाग के प्रधान सचिव को पुनः भुगतान कराने हेतु अनुरोध किया जाय।

5. खादी संस्थाओं के डिजाइन एवं ब्रांडिंग :– खादी संस्थाओं के डिजाइन एवं ब्रांडिंग के लिये निफ्ट के साथ एकरारनामा किया गया है। बिहार खादी लोगो (Logo) का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 24.09.2016 को चरखा दिवस के अवसर पर विमोचन किया गया है। निफ्ट द्वारा बिहार खादी के लोगो (Logo) के साथ खादी परिधान के 50 नये डिजाईन तैयार कर खादी बोर्ड को उपलब्ध कराया गया है। इस 50 डिजाइनों के अनुरूप रेडीमेड वस्त्र तैयार करने हेतु खादी संस्थाओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाय, ताकि बिहार के खादी संस्थाएं बाजार के मांग के अनुरूप उत्पादन एवं बिक्री कर सके।

6. बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के शो–रूम के रेनोवेशन के संबंध में :– बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के शोरूम का आधुनिक शोरूम के रूप में विकसित करने हेतु रिमॉडलिंग एवं उसके पिछे पुराने भवन को तोड़कर नया भवन के निर्माण हेतु दिनांक 24.09.2016 को चरखा दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया। निर्माण कार्य आयाडा के माध्यम से किया जाना है, एवं इसके लिए रु0 7,39,94,000/– एवं रु0 16,94,38,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई है। आयाडा द्वारा बनाये जाने वाले भवन के डिजाईन एवं ले आउट प्लान का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से देखा गया।